न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :– श्री ए.एच.गौरी, आर.ए.एस.

न.मु. एफएसएस एक्ट प्रा.पत्र 36/2016
अनवान :–

श्री महमूद अली, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, बीकानेर

प्रार्थी

–: बनाम :–

श्री बलदेव शर्मा पुत्र श्री जयकिशन शर्मा जाति ब्राह्म्मण (विक्रेता मालिक) मैसर्स मूलतानचन्द जयकिशन शर्मा, बस स्टेण्ड देशनोक, जिला बीकानेर– निवासी हॉस्पीटल के पास देशनोक, जिला बीकानेर

अप्रार्थी

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 26 उपधारा 2 (ii) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 नियम 2011

उपस्थिति :–

1. प्रार्थी – श्री महमूद अली, खाध सुरक्षा अधिकारी,
2. अप्रार्थी – श्री बलदेव शर्मा

–: निर्णय :– दिनांक 02.01.2019

1. इस मामले के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी श्री महमूद अली, खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने इस न्यायालय में एक प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि दिनांक 11.02.2016 को अप्रार्थी श्री बलदेव शर्मा पुत्र श्री जयकिशन शर्मा जाति ब्राह्म्मण (विक्रेता मालिक) मैसर्स मूलतानचन्द जयकिशन शर्मा, बस स्टेण्ड देशनोक, जिला बीकानेर (राज.) के यहां दुकान के निरीक्षण के दौरान काउन्टर में रखी एक स्टील की ट्रे में लगभग 04 किलोग्राम मावे की मिठाई (मावा पेड़ा) आम जनता को विक्रय वास्ते रखा हुआ था। तदन्तर मिलावट का शक होने पर उक्त स्टील की ट्रे में से 02 किलोग्राम मावे की मिलाई (मावा पेड़ा) नमूना संग्रह हेतु उनके बताये अनुसार मूल्य 480/– रूपये में खरीद कर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता, गवाहान एवं प्रार्थी स्वयं के हस्ताक्षर है। तदन्तर उक्त खरीदशुदा मावे की मिठाई (मावा पेड़ा) को चार बराबर–बराबर भागों में बांटकर चारों साफ सुखी एवं खाली बोतलों में डालकर एवं प्रत्येक बोतल में 40–40 बूंदे फॉर्मेलिन की डालकर पैक करके एक सीलबन्द शीशी मुख्य जन विश्लेषक एवं खाद्य विश्लेषक, राज.जयपुर को जांच हेतु भेजी गई । जिनके यहां से दिनांक 08.03.2016 को जांच रिर्पोट प्राप्त हुई जिसमें मिठाई (मावा पेड़ा) सबस्टेण्डर्ड का पाया गया । प्रार्थनापत्र के अनुसार प्रार्थी का निवेदन है कि अप्रार्थी द्वारा सबस्टेण्डर्ड मिठाई (मावा पेड़ा) का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के प्रावधानों का उल्लंघन किया है। इसलिये धारा 51 के अनुसार खाद्य पदार्थ की क्वालिटी क्रेता की मांग के अनुसार नहीं होने के कारण निर्धारित शास्ति से दण्डित किया जावे ।

अति. जिला कलक्टर
(प्रशासन), बीकानेर

Scanned by CamScanner

2. उक्ताशय का प्रार्थनापत्र प्रस्तुत होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीपक्ष को जरिये नोटिस तलब किया गया । अप्रार्थी स्वयं उपस्थित आकर जवाब प्रस्तुत किया, तदन्तर दोनों पक्षों का कथन सुना गया।

3. प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने निवेदन किया कि इस मामले में प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीपक्ष के यहां नियमानुसार तरीके से मिठाई (मावा पेड़ा) का सैम्पल लिया जाकर प्रयोगशाला जयपुर में जांच करवाई गई। मुख्य जन विश्लेषक, एवं खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त रिपोर्ट दिनांक 08.03.2016 के अनुसार इस मामले में Quality Characteristics-No.7-B.R. Reading of extracted fat at 40°C Prescribed standards as per rule- 40.0 to 44.0 (Milk Fat) की तुलना में 45.5 पाया गया है जो निर्धारित मानक के अनुरूप नहीं है। इस प्रकार अप्रार्थी के यहां मिठाई (मावा पेड़ा) सबस्टेण्डर्ड का पाया गया है जो धारा 26 उपधारा 2 (ii) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 का उल्लंघन है।

4. अप्रार्थी ने बचाव में कथन किया कि अप्रार्थी देशनोक करणी मन्दिर के पास दुकान करता है। उसमें थोड़ी बहुत मिठाई (प्रसाद) रखता है, जो कि बाजार से प्रतिदिन 2–3 किलो की मात्रा में खरीदकर बेचता है और मिठाई की दुकान आरम्भ किये हुए 9–10 महिने हुए है। आगे यह भी कथन किया है कि उक्त सैम्पल दो जगह से लिया गया है जहां से अप्रार्थी माँ शक्ति मिष्ठान से खरीद कर लाता है। वहां से सैम्पल लेने के बाद अप्रार्थी के यहां से सैम्पल लिया गया है। अप्रार्थी की छोटी दुकान है। जहां पर प्रसाद बिक्री करता है, बनाता नहीं है और ना ही कोई कढ़ाई है। अप्रार्थी की एकदम पोजीशन नहीं है कि कोई भी दण्ड भर सके। अप्रार्थी जैसे–तैसे अपने परिवार का भरण पोषण करता है, परिवार की जिम्मेदारी अप्रार्थी पर है। इसलिए अप्रार्थी को क्षमा करें। इसके विपरीत प्रार्थी अधिकारी ने अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जबाब व कथन का खण्डन करते हुवे बताया कि अप्रार्थी के यहां नियमानुसार कार्यवाही की जाकर मिठाई (मावा पेड़ा) का सैम्पल लिया गया, जो सबस्टेण्डर्ड का पाया गया है।

5. हमने उभयपक्ष के कथनों पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया गया । प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा अपने कथन के समर्थन में प्रस्तुत किये गये दस्तावेजों का अप्रार्थी द्वारा साक्ष्य आधारित खण्डन नहीं किया है। जिस मिठाई (मावा पेड़ा) का सेम्पल लिया गया था, वह मिठाई (मावा पेड़ा) अप्रार्थी की दुकान में पाया गया था । पत्रावली में Food Analyst, State Central Public Health Laboratory, Jaipur की रिपोर्ट क्रमांकः एल.एस./265/एक्ट/2016/926 दिनांक 08.03.2016 संलग्न है। इस रिपोर्ट के अनुसार अप्रार्थी के यहां पाया गया मिठाई (मावा पेड़ा) Quality Characteristics-No.7- B.R. Reading of extracted fat at 40°C Prescribed standdards as per rule- 40.0 to 44.0 (For Milk Fat) की तुलना में 45.5 पाया गया है, जो निर्धारित मानक के अनुरूप नहीं होने के कारण सबस्टेण्डर्ड होना

अति. जिला कलक्टर
(प्रशासन), बीकानेर

साबित होता है। लिहाजा अप्रार्थी द्वारा सबस्टेण्डर्ड का मिठाई (मावा पेड़ा) विक्रय करके अधिनियम के प्रावधानों 26 (2)(II) का उल्लंघन किया है । अतः अप्रार्थी द्वारा अधिनियम के उल्लंघन के सम्बन्ध में प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को मध्य नजर रखते हुवे हम अप्रार्थी के इस कृत्य के लिये उन पर खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 की धारा 51 के तहत रू. 5,000/– अखरे पांच हजार रूपये की शास्ति आरोपित की जाती है।

6. अप्रार्थी को यह आदेश दिया जाता है कि आरोपित शास्ति राशि एक माह के भीतर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बीकानेर के कार्यालय के माध्यम से राज्य के आय मद 0210– चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य में जरिये चालान जमा करावें। निर्धारित अवधि में राशि जमा न होने की अवस्था में धारा 96 के तहत व्यतिक्रमियों की अनुज्ञारित निलम्बित की जावें तथा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत वसूली हेतु कानूनी कार्यवाही की जावे।

7. निर्णय आज दिनांक 02.01.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। निर्णय की प्रति अभिहित अधिकारी एवं संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें बीकानेर जोन, बीकानेर एवं अप्रार्थी पक्ष को जरिये रजिस्टर्ड पालनार्थ एवं आवश्यक अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित हो।

(ए.एच.गौरी)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अति. जिला कलक्टर(प्रशा),बीकानेर

अति. जिला कलक्टर
(प्रशासन), बीकानेर

Scanned by CamScanner